

बिहार सरकार

विधि विभाग

फैक्स एवं

ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-27/2017.....³⁹/जे0, पटना, दिनांक ⁰⁷⁻⁰¹⁻¹⁸.....
सेवा में,

अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी
सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग)
बिहार भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0003-सरकारी मुकदमें के अन्तर्गत 28-व्यावसायिक सेवाएँ-0003.28.03-कन्सल्टेन्सी विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-01/सा0का0वि0-93/2016-97, दिनांक-01.02.2018

आदेश:- स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0003-सरकारी मुकदमें के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाएँ (कन्सल्टेन्सी) विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
4. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
5. कृपया उक्त आवंटित राशि का मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
6. इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001140003 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

[^] 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-27/2017.....³⁹/जे0, पटना, दिनांक ⁰⁷⁻⁰¹⁻¹⁸.....

प्रतिलिपि:- लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन-5, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

[^] 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-27/2017.....³⁹/जे0, पटना, दिनांक ⁰⁷⁻⁰¹⁻¹⁸.....

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

[^] 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
07/01/18